PAGE 1 OF 2	अभियोजन साक्षी संख्याः 09

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 798/2021		
राज्य	**बनाम**	अनुराग मिश्रा आदि

नाम साक्षीः डा० पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा पुत्र स्व० दुर्गा प्रसाद मिश्रा	अपराध संख्या-204/2020
उम्रः लगभग 70 वर्ष, पेशाः सेवानिवृत्त चिकित्सक	धारा- 498A, 304B IPC & 3/4 D.P. ACT
पता साक्षीः हरदेव नगर, बर्रा साउथ, थाना-बर्रा, जनपद-कानपुर नगर	थाना-साढ़, कानपुर नगर।

दिनांकः-21.01.2026

मैं **साक्षीः डा० पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा पुत्र स्व० दुर्गा प्रसाद मिश्रा, उम्रः लगभग 70 वर्ष, पेशाः सेवानिवृत्त चिकित्सक, पता साक्षीः हरदेव नगर, बर्रा साउथ, थाना-बर्रा, जनपद-कानपुर नगर** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. दिनांक 24.08.2020 को मेरी ड्यूटी यू०एच०एम० अस्पताल, कानपुर नगर के सर्जरी विभाग में थी। उसी दिन श्रीमती ज्योति पत्नी अनुराग मिश्रा, निवासी-रावतपुर, थाना-साढ़, कानपुर नगर इमरजेंसी वार्ड में 12:10 PM पर जली हुई अवस्था में भर्ती हुई थीं। इमरजेंसी के चिकित्सकों ने उसका उचित इलाज किया था। ज्योति को वार्ड में शिफ्ट किया गया था।

2. वार्ड में शिफ्ट होने के बाद मैंने ज्योति को देखा था। ज्योति लगभग पचास प्रतिशत तक जली थी। मेरे द्वारा ज्योति का आवश्यकतानुसार उचित इलाज किया गया था। शरीर के जले हुए हिस्से की मेरे द्वारा ड्रेसिंग की गयी थी व उचित दवाइयाँ, इंजेक्शन दिये गये थे। ज्योति को ड्रिप भी लगायी गयी थी।

3. अत्यधिक जली होने के कारण ज्योति को बर्न विशेषज्ञ के पास अच्छे इलाज हेतु उसी दिन रात्रि साढ़े नौ बजे रेफर कर दिया था।

प्रतिपरीक्षा

4. यह बात सही है कि ज्योति को उसके पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी ही जली हालत में अस्पताल लाये थे।

5. यह बात सही है कि ज्योति मेरे अस्पताल में लगभग नौ घंटे भर्ती रही जहाँ मैंने उसका उपचार करने का प्रयास किया। यह बात सही है कि ज्योति बोलने की स्थिति में नहीं थी इसीलिए उसका मृत्यु-पूर्व बयान मेरे सामने नहीं लिखा गया और न ही मैंने उसका बयान लिखा।

6. मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि ज्योति दुर्घटनावश जली है या उसे जलाया गया है। यह संभव है कि ज्योति दुर्घटनावश जली हो।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
लिपिक द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS